

वकील वादी / उभयपक्ष उप० । वकील वादी ने प्रा०  
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / नोट प्रेस में खारिज  
कर जाने का निवेदन किया । अतः पत्रावली को  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली  
फैसला नुमा नं. से कम की जाकर दाखिल  
इफ्तार हो । उभयपक्ष नए दिरे से वाद लाने

दुनु स्वतन्त्र रहेंगे ।

४५

Witcham  
E

Ashish  
जानकरी / बी